## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०२२

# मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( संशोधन ) विधेयक, २०२२

**मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है. संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

## मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ ( क्रमांक २३ सन् १९५६ ) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा ९ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापति;";

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहता है, या कोई वार्ड पार्षद् का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएंगी.".

(२) धारा १० में, उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परंतु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिसमें असफल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा.".

(३) धारा १४ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द "पार्षदों" के पश्चात्, शब्द "तथा महापौर" अंत:स्थापित किये जाएं.

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "पार्षदों" के पश्चात्, शब्द "तथा महापौर" अंत:स्थापित किये जाएं.

(४) धारा १४-क में, उपधारा (१) में, शब्द ''पार्षद्'' के स्थान पर शब्द ''महापौर अथवा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं.

(५) धारा १४-ख में, शब्द ''पार्षद्'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर अथवा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं.

(६) धारा १४-ग में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात् शब्द ''या महापौर'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(७) धारा १५ में,—

(क) शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात् शब्द ''या महापौर'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.''.

(८) धारा १६ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

''(४) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद् दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा.''.

(९) धारा १७ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' जोड़े जाएं.

(ख) उपधारा (१) में,—

(एक) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख ख) में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किये जाएं.

(ग) उपधारा (२) में,—

(एक) शीर्ष में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' जोड़े जाएं;

(दो) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड (ङ) में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(घ) उपधारा (३) में, शब्द ''पार्षद्'' जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द ''पार्षद् या महापौर'' स्थापित किए जाएं.

(१०) धारा १७-ख में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''पार्षद्'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (१) में, प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''प्रत्येक पार्षद्'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा प्रत्येक पार्षद्'' स्थापित किए जाएं;

(ग) उपधारा (२) में,—

(एक) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''पार्षद्'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं;

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु संभागीय आयुक्त की अनुमति के सिवाय, यदि कोई महापौर या पार्षद्, यथास्थिति, अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से तीन माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयंमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा.''.

(११) धारा १८ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:— ''अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन'';

(ख) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) निगम का महापौर तथा निर्वाचित पार्षद्, धारा २२ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विहित रीति में, सम्मिलन में, निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे, जिसे कलक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा.'';

(ग) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, कलक्टर द्वारा बुलाया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता कलक्टर द्वारा की जाएगी. पीठासीन अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में, परिणाम का विनिश्चय, ऐसी रीति में, जैसी की विहित की जाए, लॉट द्वारा किया जाएगा.''.

(१२) धारा २० में, स्पष्टीकरण में, शब्द ''तथा महापौर'' का लोप किया जाए.

(१३) धारा २३-क में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में तथा उपधारा (१) में, शब्द ''या महापौर'' जहां कहीं भी वे आए हों, का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) के खण्ड (दो) में, शब्द ''अध्यक्ष, महापौर'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर'' स्थापित किया जाए.

(१४) धारा २३-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''२४. महापौर का वापस बुलाया जाना—

(१) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरम्भ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया:—

(एक) उस तारीख से, जिसको कि ऐसा महापौर निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर; और

(दो) यदि महापौर उप चुनाव में निर्वाचित होता है तो उसकी पदावधि की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो,

आरंभ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि महापौर को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण पदावधि में एक बार ही आरम्भ की जाएगी.

(२) संभागीय आयुक्त अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी.

(३) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने की व्यवस्था करेगा.''.

(१५) धारा ४४१ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, नगरपालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा.''.

भाग-दो

## मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा २९ में उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु किसी भी नगरपालिक परिषद् के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिसमें असफल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा:''.

(२) धारा ३४ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, अंक तथा शब्द ''२५ वर्ष'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''२१ वर्ष'' स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (४) का लोप किया जाए.

(३) धारा ३५ में, खण्ड (घ घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ घ) अध्यक्ष तथा पार्षद की दशा में आयु २१ वर्ष से कम हो;".

(४) धारा ४३ में, उपधारा (१) में, शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" के स्थान पर, शब्द "कलक्टर" स्थापित किया जाए.

(५) धारा ५५ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"५५. (१) कलक्टर, धारा ४५ के अधीन पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करने के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा. **आम निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन.**

(२) उपधारा (१) के अधीन बुलाए गए परिषद् के प्रथम सम्मिलन की अध्यक्षता कलक्टर द्वारा नियुक्त किए गए ऐसे अधिकारी द्वारा, जो नगरपालिका परिषद् के मामले में डिप्टी कलक्टर की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो तथा नगर परिषद् के मामले में तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, की जाएगी और इस अध्याय में अंतर्विष्ट वे समस्त उपबंध जो परिषद् के सम्मिलनों के बारे में है, यथाशक्य ऐसे सम्मिलन के संबंध में लागू होंगे:

परन्तु अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को ऐसे सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में परिणाम का विनिश्चय लॉट द्वारा किया जाएगा.".

४. (१) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ३ सन् २०२२) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ५ सन् २०२२) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश राज्य में, इस समय १६ नगरपालिक निगम एवं ९९ नगरपालिक परिषद् हैं, जिनमें लगभग ७७ प्रतिशत नगरीय जनसंख्या निवास कर रही है. तेजी से नगरीकरण के कारण, नगरपालिक निगम एवं वृहद् नगरपालिकाओं को अवसंरचना विकास, रोजगार और नगरीय गरीबों के कल्याण के क्षेत्र में बहुत काम करना है. पिछले दो वर्षों के दौरान, कोरोना महामारी का बड़ा प्रभाव राज्य के बड़े नगरीय क्षेत्रों में देखा गया है. स्पष्ट रूप से, उपरोक्त चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ एवं सुदृढ़ राजनैतिक नेतृत्व की जरूरत है. यह ध्यान देने वाली बात है कि देश में जनसंख्या का लगभग ३४ प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में रहता है और ५० लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या सामान्यत: स्थायी है, लेकिन ५० लाख से कम जनसंख्या वाले छोटे शहरों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है. इन शहरों में नए उद्योगों एवं अवसंरचना विकास के काम की निरन्तरता के परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाकलाप एवं रोजगार के अवसर अधिक हैं और इसलिए इन शहरों को सुनियोजित एवं सुसंगठित बनाने के लिए बेहतर पहुंच हेतु नगरपालिक निगमों में महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन की जरूरत है.

२. यदि नगरपालिक निगमों के महापौर नगरीय स्थानीय निकायों के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, तब उन्हें अपनी पसंद के प्रथम नागरिक चुनने का अवसर मिलेगा. प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर जनता के प्रति जवाबदार होंगे दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर पार्षदों के प्रति जवाबदार हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि वार्ड पार्षदों का निर्वाचन वार्डों के स्थानीय मुद्दों पर आधारित होता है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर सीधे निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और नगरपालिक निगमों के संपूर्ण क्षेत्र के विषयों की जानकारी रखते हैं.

३. यह तथ्य ध्यान में आया है कि नगरीय स्थानीय निकायों से लगे हुए क्षेत्र जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. नगरीय स्थानीय निकायों की बाहरी सीमाएं जनगणना, २०११ अर्थात् ११ वर्ष पूर्व पर आधारित है लेकिन वर्तमान नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है और यही कारण है कि नगरीय स्थानीय निकायों के चारों ओर के क्षेत्र आवासीय रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से विकसित हो रहे हैं, साथ ही नगरीय सीमाओं में जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन के कारण नगरीय स्थानीय निकायों की सीमाओं में विस्तार करने/वार्डों के परिसीमन करने की जरूरत है, उसी प्रकार नए नगरीय स्थानीय निकायों के निर्माण की जरूरत है, पिछले पांच वर्षों में ३५ नगरीय स्थानीय निकायों का निर्माण किया गया है और इसलिए ''छह मास'' के स्थान पर ''दो मास'' करना प्रस्तावित किया गया है.

४. वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के आम चुनाव के पश्चात् परिषद् की प्रथम बैठक बुलाये जाने का उपबंध सरल एवं व्यवहारिक नहीं है, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि जिला कलक्टर को निर्वाचन के पश्चात् नगरपालिक परिषद् की प्रथम बैठक बुलाने और अध्यक्षता करने के लिए प्राधिकृत किया जाना चाहिए.

५. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ३४ में, उपधारा (१) (क) अध्यक्ष या पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हता उपबंध करती है. अध्यक्ष के लिए आयु पच्चीस वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, धारा ३५ के अधीन उम्मीदवारों की अनहर्ताओं के साथ, खण्ड (धध) पच्चीस वर्ष से कम आयु तथा पार्षदों के मामले में आयु इक्कीस वर्ष से कम है, उपबंध करती है. वर्तमान नगरपालिक परिषद् के अध्यक्ष का निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाना है और पार्षद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हता इक्कीस वर्ष है, और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए, नगरपालिक परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आयु संबंधी पात्रता के लिए ''इक्कीस वर्ष'' आयु किया जाना आवश्यक है.

६. चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ३ सन् २०२२) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, २०२२ (क्रमांक ५ सन् २०२२) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किए गए थे. अब उक्त अध्यादेशों के स्थान पर, राज्य विधान-मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

७. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ९ सितम्बर, २०२२.

**भूपेन्द्र सिंह**
भारसाधक सदस्य.

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड २ (११) (ख) एवं (ग) द्वारा महापौर तथा निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाने तथा मतों के बराबर होने की दशा में विहित रीति से परिणाम का विनिश्चिय किये जाने;

(१४) (१) महापौर को वापस बुलाने की प्रक्रिया विहित किये जाने;

(१४) (३) महापौर को वापस बुलाने संबंधी मतदान की रीति विहित किये जाने;

के संबंध में नियम बनाये जाएंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

## अध्यादेश के संबंध में विवरण

अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नये उद्योगों एवं अवसंरचना विकास के काम की निरंतरता के परिणामस्वरूप आर्थिक क्रियाकलाप एवं रोजगार के अवसर अधिक हैं और इसलिए इन शहरों को सुनियोजित एवं सुसंगठित बनाने के लिए बेहतर पहुंच हेतु नगरपालिक निगमों में महापौर के प्रत्यक्ष निर्वाचन की जरूरत है. नगरपालिक निगमों के महापौर नगरीय स्थानीय निकायों के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित किये जाते हैं तब उन्हें अपने पसंद के प्रथम नागरिक चुनने का अवसर मिलेगा. प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित महापौर जनता के प्रति जबावदार होंगे. दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित महापौर पार्षदों के प्रति जबावदार हैं. यह ध्यान देने वाली बात है कि वार्ड पार्षदों का निर्वाचन वार्डों के स्थानीय मुद्दों पर आधारित होता है जबकि प्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित महापौर सीधे निर्वाचन द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं और नगर पालिक निगमों के सम्पूर्ण क्षेत्र के विषयों की जानकारी रखते हैं. यह तथ्य भी ध्यान में आया है कि नगरीय स्थानीय निकायों से लगे हुये क्षेत्र में जनसंख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है. नगरीय स्थानीय निकायों की बाहरी सीमाएं जनगणना २०११ अर्थात ११ वर्ष पूर्व पर आधारित हैं लेकिन वर्तमान नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है. यही कारण है नगरीय स्थानीय निकायों के चारों ओर के क्षेत्र आवासीय रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से विकसित हो रहे हैं. साथ ही नगरीय सीमाओं में जनसंख्या के घनत्व में परिवर्तन के कारण नगरीय स्थानीय निकायों की सीमाओं में विस्तार करने/वार्डों के परिसीमन करने की जरूरत है. उसी प्रकार नये नगरीय स्थानीय निकायों के निर्माण की जरुरत है. पिछले पांच वर्षों में ३५ नगरीय स्थानीय निकायों का निर्माण किया गया है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के आम चुनाव के पश्चात् परिषद् की प्रथम बैठक बुलाये जाने का उपबंध सरल एवं व्यवहारिक नहीं था.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९६१ की धारा ३४ में उपधारा १ (क) अध्यक्ष या पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिये अर्हता उपबंध करती है. अध्यक्ष के लिये आयु पच्चीस वर्ष से कम नहीं होना चाहिये, धारा ३५ के अधीन उम्मीदवारों की अनहर्ताओं के साथ खण्ड (घघ) पच्चीस वर्ष से कम आयु तथा पार्षदों के मामले में आयु इक्कीस वर्ष से कम है, उपबंध करती है. वर्तमान नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन निर्वाचित पार्षदों द्वारा किया जाना है और पार्षदों के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्हता इक्कीस वर्ष है. और इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुये नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिय आयु संबंधी पात्रता के लिए ''इक्कीस वर्ष'' आयु किया जाना आवश्यक था.

चूंकि मामला अत्यावश्यक था और मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था. अतएव मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश २०२२ क्रमांक ३ सन् २०२२ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश २०२२ (क्रमांक ५ सन् २०२२) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किये गये थे.

**ए. पी. सिंह**
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

# उपाबंध

## मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ ( क्रमांक २३ सन् १९५६ ) से उद्धरण.

* * * * *

**धारा ९.** ( १ ) नगरपालिक वार्डों से निर्वाचित पार्षदों द्वारा निर्वाचित महापौर

(४) यदि किसी नगरपालिक क्षेत्र का कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो ऐसे वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परन्तु अध्यक्ष, महापौर, किन्हीं विभागीय समितियों या समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएगी.

**धारा १०** (४) जैसे ही किसी नगरपालिक क्षेत्र के वार्डों की रचना पूर्ण हो जाती है, राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को की जाएगी :

परन्तु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के **छः मास** पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे.

**धारा १४.**(१) नगरपालिक निगमों के पार्षदों के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियाँ तैयार कराए जाने और सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा.

(२) राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के लिए और नगरपालिक निगमों के पार्षदों के सभी निर्वाचनों के संचालन के लिए नियम बनाएगीं.

**१४-क.** (१) पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिसके अंतर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा.

**१४-ख.** पार्षद के निर्वाचन में प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अथ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अंदर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा १४-क के अधीन रखा है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

**धारा १४-ग.** यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है, तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा ओर ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चुने जाने के लिए तथा निगम का पार्षद होने के लिए उस आदेश की तारीख से पाँच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्हित होगा.

**धारा १५.** ऐसा प्रत्येक मतदाता जो किसी वार्ड में तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, पार्षदों के किसी निर्वाचन में मतदान करने के लिए पात्र होगा और कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं है, मतदान करने के लिए पात्र होगा.

परन्तु कोई भी व्यक्ति पार्षदों के किसी निर्वाचन में एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.

**धारा १६.** उपधारा (४) विलोपित.

**धारा १७.** (१) कोई भी ऐसा व्यक्ति पार्षद नहीं होगा, जो—(ख ख) पार्षद के रूप में और आगे निर्वाचित किए जाने या नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए धारा १७-क के अधीन निरर्हित कर दिया गया हो, जब तक कि वह ऐसी निरर्हता से राज्य सरकार द्वारा मुक्त न कर दिया गया हो.

(२) यदि कोई पार्षद ऐसी अवधि के भीतर, जिसके लिए वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया हो—

* * * * *

(ङ) धारा १४-ग के अधीन पार्षद के रूप में चुने जाने के लिए तथा होने के लिए निरर्हित हो जाता है.

वो वह उपधारा (३) के उपबंधों के पालन के अधीन पार्षद या महापौर के रूप में बने रहने के अयोग्य होगा और उसका पद रिक्त हो जाएगा.

* * * * *

(३) उपधारा (१) के खण्ड (ढ) और उपधारा (२) के खण्ड (ङ) के अधीन आने वाले प्रकरणों के सिवाय प्रत्येक प्रकरण में या निर्णय देने के लिए कि क्या इस धारा के अधीन कोई स्थान रिक्त हुआ है सक्षम प्राधिकारी शासन होगा. यह निर्णय या तो किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र पर या स्वयं की प्रेरणा पर दिया जा सकेगा. जब तक शासन यप निर्णय न कर दे कि स्थान रिक्त हुआ है, पार्षद उपधारा (२) के अधीन वह पार्षद के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य नहीं होगा.

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश किसी भी पार्षद के विरुद्ध उसे सुने जाने का यथोचित अवसर दिए बिना नहीं दिया जाएगा.

**धारा १७-ख. ( १ )** प्रत्येक पार्षद, यथास्थिति, निगम के प्रथम सम्मिलन में अध्यक्ष (स्पीकर) के चुनाव में भाग लेने के पूर्व या अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करेगा—

(२) यदि पार्षद उपधारा (१) के अधीन शपथ नहीं लेता है, तो यह समझा जाएगा कि ऐसे पार्षद ने अपने पद ग्रहण नहीं किया है.

परन्तु यदि पार्षद संभागीय आयुक्त की अनुमति के सिवाय, उसके निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से तीन माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयंमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा.

* * * * *

**धारा १८** (१) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा २२ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा महापौर के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा.

* * * * *

(३) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जाएगा, जैसी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित की जाए, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वार की जाएगी. अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में परिणाम लाट द्वारा ऐसी रीति में विनिश्चित किया जाएगा, जैसी की विहित की जाए.

* * * * *

**धारा २० स्पष्टीकरण**—अध्यक्ष तथा महापौर को निर्वाचित करने के लिए धारा १८ की उपधारा (१) के अधीन किए गए सम्मिलन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के प्रयोजन के लिए प्रथम सम्मिलन है.

* * * * *

**धारा २३-क** (१) अध्यक्ष या महापौर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव उपधारा (२) के अधीन उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाए गए सम्मिलन में किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा और यदि प्रस्ताव सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के दो-तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाए और यदि ऐसा बहुमत निगम का गठन करने वाले निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के आधे से अधिक हों, तो अध्यक्ष या महापौर का पद तत्काल रिक्त हुआ समझा जाएगा.

(२) (दो) ऐसे सम्मिलन की सूचना, तारीख, समय तथा स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए अध्यक्ष, महापौर तथा प्रत्येक पार्षद को सम्मिलन के दस पूर्ण दिन पूर्व भेजी जाएगी,

* * * * *

२४ विलोपित.

* * * * *

**धारा ४४१** (तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, किसी निर्वाचित पार्षद द्वारा

**मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, १९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १९६१ ) से उद्धरण.**

**धारा २९** (४) जैसे ही किसी नगरपालिका के वार्डों की रचना पूर्ण हो जाती है, राज्य सरकार द्वारा उसकी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को की जाएगी:

परन्तु किसी भी नगरपालिका के कार्यकाल की पूर्णता के छः माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किये जाने या हटाये जाने अथवा वोर्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा:

* * * * *

**धारा ३४** (१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसा कोई व्यक्ति जो नगरपालिका निर्वाचन नामावली में मतदाता के रूप में नामांकित है:—

(क) यदि वह आयु में पच्चीस वर्ष से कम नहीं है अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु और—
(ख) यदि वह आयु में इक्कीस वर्ष से कम नहीं है पार्षद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए अर्ह होगा.

* * * * *

(४) यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष या पार्षद दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तिथि से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा.

* * * * *

**धारा ३५** (घघ) अध्यक्ष की दशा में आयु पच्चीस वर्ष से कम हो तथा पार्षदों की दशा में आयु इक्कीस वर्ष से कम हो.

**धारा ४३** (१) राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका परिषद् एवं नगर परिषद् के प्रत्येक निर्वाचन के तुरन्त पश्चात् अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करवाएगा. परिषद् के निर्वाचित सदस्य धारा ५५ में यथाविनिर्दिष्ट अपने प्रथम सम्मिलन में निर्वाचित सदस्यों में से विहित रीति में **एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष** का निर्वाचन करेंगे.

* * * * *

**धारा ५५.** (१) राज्य निर्वाचन आयोग, धारा ४५ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से १५ दिन के भीतर, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रयोजन के लिए निर्वाचित पार्षदों का सम्मिलन बुलाएगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, ऐसी रीति में बुलाया जाएगा, जैसी कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अवधारित की जाए, जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी. अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मत बराबर होने की दशा में परिणाम लाट द्वारा ऐसी रीति में विनिश्चित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए.

* * * * *

**ए. पी. सिंह**
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.